

Form No. III  
**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर

अज अदालत



मुकाम

बनाम

किस्म मुकद्दमा

नम्बर

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.10.19	<p>सरकारी पैसे 3 पग।                      वकील अप्रार्थी 3 पग।                      बहल सुनी गभी एजावली वाले निर्बंध                      दि. 31.10.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलेक्टर                      पाली (राज.)                 </p>	
31.10.19	<p>सरकारी पैसे 3 पग।                      वकील अप्रार्थी 3 पग।                      बहल के दौरान यह तथ्य सामने आये कि प्रतिवादी ने भाग 2 बिल्वा भूमि अर्थात् 161 कर्मीर में ज्वातेदार स्वयं के मकान बना रखा है जो कि नियमों के अनुरूप है।                      अतः स्वयं के उपयोग-इपयोग हेतु एक ज्वातेदार 2 बिल्वा भूमि पर मकान बना सकता है। उपस्थित सरकारी पैसे की इस बात की सहमति जाहिर की कि उपरोक्तानुसार वाद (प्रा-प) सेटलमेंट नहीं है।                      अतः सरकारी पैसे की सहमति के आधार पर एवं निर्बंध भूमि का अधिपति प्रयोजनार्थ नियमों के आधार पर होने से प्राथी सरकार का प्राण्ड खारिज किया जाता है।                      पाथना पर केसल भुगतान टोकल नभल के कर्म हो।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलेक्टर                      पाली (राज.)                 </p>	

